<u>प्रेस नोट दिनांक-11.07.2025</u>

<u>ऑपरेशन कन्विक्शन</u>

▶️ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

▶️ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद चन्दौली थाना चन्दौली के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 22.01.2010 को धारा 3(1) यू0पी0 गैगे0 एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1 सुनील उर्फ सुमित उर्फ बब्बू उर्फ सहगू प्रसाद बिन्द निवासी बसंतपुर काधी थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर 2 भोला सिंह पुत्र भरत सिंह निवासी बैरी परसिया थाना चाँद जिला कैमुर भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या-21/10 धारा-3(1) यू0पी0 गैगे0 एक्ट थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 आकाश त्रिपाठी व अभियोजक श्री अवधेश कुमार सिंह (एडीजीसी) व थाना चन्दौली के पैरोकार का0 शशिकान्त गौतम की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-11.07.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्तों 1.सुनील उर्फ सुमित उर्फ बब्बू उर्फ सहगू प्रसाद बिन्द निवासी बसंतपुर काधी थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर 2.भोला सिंह पुत्र भरत सिंह निवासी बैरी परसिया थाना चाँद जिला कैमुर भभुआ बिहार को **<u>02-02 वर्ष का कठोर कारावास व 5000-5000 रु0 के</u>** अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।